जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।

ग्राम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801 (कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.con
Website : http://www.jiwaji edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2019/6014 दिनांक : 13-2-19

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
समस्त सम्बधित अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालय
जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

विषयः- शैक्षणिक संवर्ग की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 वर्ष करने के उपरांत कार्यभार ग्रहण तथा वेतन भुगतान की जानकारी विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आपको सूचित किया जाता है कि अपर सचिव उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल के पत्र क्रमांक /163/2019/8-3 दिनांक 23.01.2019 में उल्लेख किया है कि अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा निवृत्त आयु 62 से 65 वर्ष करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश में दायर याचिका क्रमांक 17373/11(एस) में निर्देशित किया गया है कि सेवा निवृत्त शिक्षकों को पुनः कार्य पर उपस्थित करावें एवं उन्हें पूर्व की भाँति वेतन आदि भी प्रदाय किया जावे इस समस्त प्रकरण में उच्च शिक्षा विभाग से प्रसारित आदेश क्रमांक 1383/716/2018/38-3 दिनांक 19.07.2018 में माननीय उच्चतम न्यायालय निर्णय के अनुपालन में अद्विवार्षिकी आयु 62 वर्ष के बाद अथवा 65 वर्ष के मध्य की गयी सेवा अवधि के लिये सम्बधित अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय की प्रबंधन समिति को ही वेतन भुगतान के लिये उत्तरदायी मानते हुए यथा समय निर्देशित किया गया था।

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि उक्त निर्णयों के परिपालन में आपके महाविद्यालय की शासीनिकाय द्वारा उक्त सम्बध में क्या कार्यवाही की गयी की जानकारी इस कार्यालय को अविलम्ब अवगत करावें। ताकि शासन द्वारा जारी पत्र में उल्लेखित प्रतिलिपि के बिन्दु क्रमांक 02 के अनुसार कार्यवाही की जा सके। उक्त जानकारी समय अनुसार प्रदान न करने की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व सम्बधित महाविद्यालय का होगा, महाविद्यालय द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी शासन को अवगत कराकर अनापत्ति प्राप्त करें अन्यथा महाविद्यालयों को सत्र 2019-20 में सम्बद्धता प्रदान की जाना संम्भव नहीं होगी।

संलग्न उपरोक्तानुसारः-

डायरेक्टर
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

DISK:E/TARUN SHRIVASTAVA/ALL LETTER'S/DCDC/JU

मध्यप्रदेश शासन,
उच्च शिक्षा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

//नोटिस//

क्रमांक /163/2019/38–3 भोपाल, दिनांक 23 /01/2019

प्रति,

अध्यक्ष,
शासीनिकाय/प्रशासक,
अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय,
.... म.प्र.

विषयः– शैक्षणिक संवर्ग की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 वर्ष करने के उपरांत कार्यभार ग्रहण तथा वेतन भुगतान की जानकारी विषयक।

––00––

अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत् शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष करने बाबत् माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक 17373/11 (एस) में पारित अंतरिम आदेश में निर्देशित किया गया था कि **"Keeping in view the order dated 14/10/11, passed in W.P. No.17373/11(s) and finding claim of the petitioner to be at par with the same respondents are directed to permit the petitioner to work till he attains the age of 65 years and the salary to the petitioner shall be paid by the Management of the Institution and the State Govt. shall not be burdened with payment of salary.** इस प्रकार समस्त महाविद्यालयों के शासी निकायों के लिए उच्च शिक्षा विभाग से प्रसारित सकारण आदेश क्रमांक 1283/716/2018/ 38–3 दिनांक 19.07.18 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष के बाद अथवा 65 वर्ष के मध्य की गई सेवा अवधि के लिए संबंधित अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय की प्रबंधन समिति को ही वेतन भुगतान के लिए पूर्णतः उत्तरदायी मानते हुए यथासमय निर्देशित किया था। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय ने S.L.P. 31968-31969 में दिनांक 01.11.18 को पारित निर्णय के अनुपालन में उच्च शिक्षा विभाग से आदेश क्रमांक 986/1611/2018/38–3 दिनांक 24.11.18 द्वारा समस्त अध्यक्ष, शासीनिकाय/प्रशासक, समस्त अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र. को निर्देशित किया गया था कि **"माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में शैक्षणिक संवर्ग के ऐसे अधिकारी जिनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है उन्हें 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक निरंतर रखा जाय। इस अवधि में सेवानिवृत्त कर दिये गये शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों को संबंधित महाविद्यालय की प्रबंधन समिति कार्यभार ग्रहण करावे तथा वेतन भत्ते आदि का पूर्व में जारी निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार भुगतान करें। उपरोक्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन 30.11.18 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।"**

DDC
12/2/19

उक्त के संबंध में कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा के पत्र कमांक 99/446/आउशि/अनु–ब/18 दिनांक 18.01.19 के अनुपालन में विभिन्न महाविद्यालयों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि शैक्षणिक संवर्ग के ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है, कई महाविद्यालयों ने उन्हें कार्यभार तो ग्रहण करा लिया गया है किंतु वेतन भुगतान नहीं किया गया है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च शिक्षा विभाग के आदेश कमांक 986/1611/2018/38–3 दिनांक 24.11.18 का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति के 03 दिवस में निम्नानुसार कार्यवाही कर पालन प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें :–

1. शैक्षणिक संवर्ग, जिनके द्वारा 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली गई है उन्हें 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक के लिए तत्काल कार्यभार ग्रहण करावें।
2. संबंधित महाविद्यालय अपने स्त्रोतों से वेतन का भुगतान अविलंब करें।

उपरोक्त निर्देशों का पालन न करने पर आपके महाविद्यालय की मान्यता समाप्त कर महाविद्यालय में विद्यार्थियों को नवीन अकादमिक सत्र में प्रवेश नहीं दिये जाने की कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। साथ ही उच्च न्यायालय एंव सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही नहीं करते हैं तो आपकी संस्था की अचल संपत्ति की नीलामी कर माननीय न्यायालय के निर्णय का पालन कराया जावेगा, जिसके लिए आप स्वंय उत्तरदायी होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(जयश्री मिश्रा)
अपर सचिव
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 23/01/2019

पृ.कमांक 63-209/163/2019/38–3

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. सतपुड़ा भवन, भोपाल।
2. रजिस्ट्रार, समस्त विश्वविद्यालय, म.प्र. की ओर प्रेषित कर लेख है कि कृपया उच्च शिक्षा विभाग से आगामी निर्देश प्राप्त होने पर ही प्रदेश के अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों को आगामी सत्र 2019--20 के लिए सम्बद्वता प्रदान न करें।
3. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, म.प्र. की ओर तत्काल पालनार्थ।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा, न्यायालयीन प्रकोष्ठ की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. आई.टी. सेल प्रभारी, उच्च शिक्षा संचालनालय, भोपाल।

अपर सचिव
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश